RISING RAJASTHAN

सत्यमेव जयते

Azadi Ka Amrit Mahotsav

राजस्थान सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार, आई0ए0एस0

विविध रसद प्रकरण सं. 30 / 2025

प्रार्थी– राजस्थान सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक, बालोतरा।

बनाम

अप्रार्थी– श्री सुरेश कुमार पुत्र जगदीश कुमार निवासी रबारियों का टांका, जिला बालोतरा।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री रामेश्वरलाल गहलोत, अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 25.02.2026

1. प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि दिनांक 26.09.2025 को श्री रविन्द्रसिंह प्रवर्तन निरीक्षक, बालोतरा, ने मौतबिरान के रूबरू अप्रार्थी के व्यवसायिक प्रतिष्ठान मैसर्स मॉं अम्बे पानी पुड़ी सेन्टर का निरीक्षण पर जांच करने पहुंचे, जहां मौके पर अप्रार्थी श्री सुरेश कुमार उपस्थित मिले। मौके पर 1 घरेलु गैस सिलेण्डर भट्टी से गैर पाईप लाईन से जुड़े हुए वक्त जांच पाए गये, जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार दिया गया है–

क्र. सं.	गैस सिलेण्डर न.	गैस कम्पनी का नाम	सिलेण्डर का कुल वजन	खाली सिलेण्डर का वजन	सिलेण्डर मे भरी हुई गैस का वजन
1.	381635 एस	HP	22 किग्रा	15.8 किग्रा	6.2 किग्रा

2. मौके पर उक्त दुकान मे पाये गये घरेलु गैस सिलेण्डर द्वारा व्यवसायिक दुरूपयोग करने पर उक्त सिलेण्डर को जब्त सरकार किया गया। जब्तशुदा गैस सिलेण्डर को मैसर्स गंगराना गैस एजेंसी बालोतरा के डिलीवरी मैन श्री लुंबाराम पुत्र दानाराम को सुपुर्दनामा पर सुपुर्द किया गया। अप्रार्थी द्वारा अनाधिकृत रूप से घरेलु गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग हेतु संग्रह कर द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 के 1(सी) व 7(सी) का उल्लंघन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के तहत उपरोक्त सीजशुदा घरेलु गैस सिलेण्डर मय गैस राजसात करने का आदेश फरमाया जावें।

जिला कलक्टर
बालोतरा

3. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये पंजिबद्ध डाक द्वारा नोटिस जारी किया गया ।

4. अधिवक्ता अप्रार्थी ने दौराने जवाब व बहस कथन किया कि अप्रार्थी मां अम्बे पानी पुड़ी सेंटर के नाम से मजदुरी कार्य कर परिवार की आजिविका चलाकर भरण पोषण करता है। अप्रार्थी द्वारा पानी पुड़ी व मसाला से तैयार भेलपुरी बेचता है। पानी पुडी के थैले पर गैस टंकी का किसी प्रकार से उपयोग नहीं किया जाता है और न ही गैस सिलेण्डर की आवश्यकता नहीं होती है। अप्रार्थी बालोतरा के निवासी है व उनके नाम से घरेलू गैस संख्या 117499 मधुबन गैस सर्विस से लिया हुआ है। घर हेतु गैस टंकी लाई हुई थी, जो पानी पुड़ी सेंटर पर रखी हुई थी। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार व्यावसायिक हेतु उपयोग नहीं किया गया है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी को बिना सुने केवल कागजी खानापूर्ति व प्रकरणों को बढ़ाने की नियत से गलत तौर से अप्रार्थी की टंकी को जब्त किया गया है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज करते हुए जब्तसुदा सिलेण्डेर वापस दिलाने का आदेश फरमावे।

5. हमने सरकारी पैरोकार एवं अप्रार्थी की बहस सुनी, बहस उपरांत पत्रावली का अवलोकन किया एवं मनन किया गया तथा उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रार्थी की ओर से विभागीय पैरोकार ने प्रकट किया कि अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार के आवश्यक दस्तावेज व अनुज्ञापत्र प्रस्तुत नहीं करने तथा अवैध रूप से उपयोग करने पर उक्त सिलेण्डर मौतबिरान के रूबरू सीज किये गये है, जो वर्तमान मे गैस कम्पनी के स्थानीय वितरक मैसर्स गंगराना गैस एजेंसी बालोतरा के डिलीवरी मैन श्री लुंबाराम पुत्र दानाराम को सुपुर्दगी पर दिये गये है। अप्रार्थी द्वारा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 के (सी) व 7(1) का उल्लंघन किया गया है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अधिवक्ता अप्रार्थी ने कथन किया कि अप्रार्थी पानी पुड़ी बेचता है। पानी पुडी के थैले पर गैस टंकी का किसी प्रकार से उपयोग नहीं किया जाता है और न ही गैस सिलेण्डर की आवश्यकता नहीं होती है। अप्रार्थी के नाम से घरेलू गैस कनेक्शन से लिया हुआ है। घर हेतु गैस टंकी लाई हुई थी, जो पानी पुड़ी सेंटर पर रखी हुई थी। उक्त सिलेण्डर जब्त करने से अप्रार्थी को भारी नुकसान हो रहा है। लिहाजा उसके विरूद्ध की गई उक्त कार्यवाही निरस्त फरमाई जाकर जब्तशुदा सिलेण्डर उसे दिये जाने का आदेश प्रदान करावे। पत्रावली के संलग्न दस्तावजे का अवलोकन किया गया, जिसमें अप्रार्थी के नाम गैस कनेक्शन लेना पाया गया तथा दिनांक 26.09.2025 को 869.50 रू की रसिद होना पाया गया। प्रार्थी के द्वारा भी कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किया गया, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि अप्रार्थी द्वारा घरेलु सिलेण्डर

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बालोतरा

जिला कलक्टर
बालोतरा

व्यावसायिक उपयोग किया गया हो। लिहाजा उक्त सिलेण्डर का व्यावसायिक प्रयोग होना साबित नहीं होता है। इस प्रकार उक्त जब्तसुदा सिलेण्डर मय गैस राजसात किये जाने का समुचित आधार मौजूद नहीं पाया जाता है।

6. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर जिला रसद अधिकारी बालोतरा को निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में जब्तशुदा घरेलु गैस सिलेण्डर मय द्रविकृत गैस को पुनः अप्रार्थी को सुपुर्द करें तथा इस आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी, बालोतरा को सूचनार्थ एवं पालना हेतु प्रेषित हो।

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बालोतरा

आदेश आज दिनांक 25.02.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुशील कुमार)
जिला कलक्टर, बालोतरा

जिला कलक्टर
बालोतरा